



# सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-10/2023

दिनांक- 07 -जनवरी- 2023

## प्रेस विज्ञप्ति

### थाना मुबारकपुर

#### सामुहिक दुष्कर्म का 01 आरोपी गिरफ्तार

**पूर्व की घटना** – दिनांक 24.11.2022 को वादिनी मुकदमा द्वारा शिकायत किया गया था कि अभियुक्त 1. रियाज पुत्र सरवर 2. इजहार पुत्र फरीद 3. उमर पुत्र फरीद निवासीगण कुकुरसण्डा थाना मुबारकपुर आजमगढ़ द्वारा वादिनी के साथ सामुहिक दुष्कर्म किया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 371/22 धारा 294/376डी/506 भा0द0वि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण** –दिनांक 07.01.2023 को उ0नि0 दशाराज सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रियाज पुत्र सरवर उर्फ सरदार निवासी कुकुरसण्डा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को रोडवेज चौराहा कस्बा मुबारकपुर से समय करिब 10.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त** - रियाज पुत्र सरवर उर्फ सरदार निवासी कुकुरसण्डा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 57 वर्ष।

**पंजीकृत अभियोग** - मु0अ0सं0 371/2022 धारा 294/376डी/506 भादवि

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –**

उ0नि0 दशाराज सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

का0 अजय कुमार थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

### थाना जहानागंज

#### किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

**पूर्व की घटना-**

दिनांक 09.11.2022 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की बहन को अभियुक्त 1.जितेन्द्र चौहान पुत्र वृजभान चौहान निवासी मुजफ्फरपुर कोल्हुखोर थाना जहानागंज आजमगढ़, 2. दो व्यक्ति नाम पता अज्ञात द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाया गया है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 451/22 धारा 363, 366 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 श्री संतोष यादव द्वारा की जा रही है, साक्ष्य संकलन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट की बढोत्तरी की गयी।

**गिरफ्तारी का विवरण -**

आज दिनांक 07.01.2023 को उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र चौहान पुत्र वृजभान चौहान निवासी मुजफ्फरपुर कोल्हुखोर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को धरवारा मोड़ से समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग -**

मु0अ0सं0 451/2022 धारा 363, 366,376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -**

जितेन्द्र चौहान पुत्र वृजभान चौहान निवासी मुजफ्फरपुर कोल्हुखोर थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष।

**गिरफ्तार करने वाली टीम -**

1- उ0नि0 संतोष कुमार मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

## थाना कोतवाली नगर

ग्राम बद्दोपुर में अवैध असलहा दिखाकर इन्टरलाकिंग के कार्य में अवरोध उत्पन्न करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार; अवैध

### असलहा व कारतूस बरामदा

**पूर्व की घटना** – दिनांक 4/1/2023 को वादी मुकदमा उ0नि0 अकीक अहमद हमराह द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि ग्राम बद्दोपुर में रास्ते पर सरकारी इन्टर लाकिंग का कार्य चल रहा है। जिसमें रमेश सिंह S/O स्व रामानन्द सिंह निवासी बद्दोपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ द्वारा अवैध शस्त्र का प्रदर्शन करते हुए मौके पर उपस्थित लोगों को गाली देते हुए इन्टर लाकिंग की ईट उखाड़ कर फेंक दिए तथा धमकी देते हुए कार्य रूकवा दिये है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 06/23 धारा 336/431/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

**गिरफ्तारी का विवरण** – आज दिनांक 07.01.2023 को प्र0नि0 शशीचन्द्र चौधरी व उ0नि0 मुरारी मिश्रा मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमेश सिंह S/O स्व रामानन्द सिंह निवासी बद्दोपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़ को बैठोली पुल से समय करिब 06.05 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**पंजीकृत अभियोग** – मु0अ0सं0 06/23 धारा 336/431/504/506 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त-** रमेश सिंह S/O स्व रामानन्द सिंह निवासी बद्दोपुर थाना कोतवाली जिला आजमगढ़।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 6511/2011 धारा 147/148/149/307/323/452/504/506 भादवि थाना कोतवाली नगर
02. मु0अ0सं0 264/2021 धारा 409/419/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर
03. मु0अ0सं0 465/2015 धारा 419/420 भादवि थाना कोतवाली नगर

### बरामदगी –

01 अवैध तमन्चा 315 बोरे

01 जिन्दा कारतूस 315 बोरे बरामद

### गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम –

1. प्र0नि0 शशीचन्द्र चौधरी थाना कोतवाली नगर, आजमगढ़।
2. उ0नि0 मुरारी मिश्रा चौकी मय हमराह प्रभारी बलरामपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़।

## थाना कन्धरापुर

### अपहरण के अभियोग में एक गिरफ्तार

**पूर्व की घटना का विवरण** – वादी श्री पुन्नु राम पुत्र स्व0 बलिराज निवासी हरिहरपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक-01.01.2023 को दिलीप कुमार पुत्र महेश निषाद निवासी ढोकरी नई बस्ती सैदाबाद थाना हड़िया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष द्वारा वादी मुकदमा के लड़के सत्यम कुमार उम्र करीब 07 वर्ष को बहला फुसला कर, लालच देकर बिना किसी को बताये अपने साथ लेकर चला गया था, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 02/2023 धारा 363 भादवि बनाम अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र महेश निषाद निवासी ढोकरी नई बस्ती सैदाबाद थाना हड़िया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष पंजीकृत कराया गया था।

दिनांक- 07.01.2023 को उ0नि0 जाफर खां मय हस्बुन तलब हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त दिलीप कुमार पुत्र महेश निषाद निवासी ढोकरी नई बस्ती सैदाबाद थाना हड़िया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष, को भवरनाथ चौराहे के पास से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया तथा अपहृत सत्यम कुमार को बरामद किया गया।

## गिरफ्तार अभियुक्त

1- दिलीप कुमार पुत्र महेश निषाद निवासी ढोकरी नई बस्ती सैदाबाद थाना हड़िया जनपद प्रयागराज उम्र करीब 24 वर्ष  
पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 02/2023 धारा 363 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़  
आपराधिक इतिहास- 1. मु0अ0सं0 02/2023 धारा 363 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 जाफर खां मय हमराह थाना कन्धरापुर, आजमगढ़।

### थाना जहानागंज

ग्राम बड़ौरा खुर्द में हुयी घटित घटना में 05वां वांछित अभियुक्त गिरफ्तार; आला कत्ल बरामद, पूर्व में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

### पूर्व की घटना-

थाना स्थानीय के वादी श्री राजेश कुमार पुत्र लालचन्द ग्राम बड़ौरा खुर्द पो0 बड़ौरा बुजुर्ग थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना जहानागंज थाने पर दिनांक 03.01.2023 को तहरीर दिया गया कि विपक्षियों द्वारा एक राय होकर लाठी डण्डे व धारदार हथियार से जान मारने की नियत से वादी मुकदमा के घर में घुसकर वादी मुकदमा व उसके परिवार के कौशिल्या, राकेश व बबिता व अंकित तथा अंकुर को काफी बुरी तरह से मारना पीटना जिससे वादी की पत्नी कौशिल्या की मौके पर ही मृत्यु हो गयी, के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 09/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 452 भादवि बनाम 1. राजकुमार पुत्र भगेलू 2. दीपक उर्फ अमित, 3. मनीष उर्फ डम्पी, 4. सतिस उर्फ पम्पी पुत्रगण राजकुमार 5. आशा पत्नी राजकुमार, निवासीगण बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ 6. अल्का (दीपक की साली) के पंजीकृत किया गया। विवेचना थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह द्वारा अमल में लायी गयी।

➡ दिनांक- 04.01.2023 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. राजकुमार पुत्र भगेलू, 2. मनीष उर्फ पम्पी पुत्र राजकुमार, 3. आशा पत्नी राजकुमार, निवासीगण बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ 4. अल्का को गिरफ्तार किया गया है।

### ➡ गिरफ्तारी का विवरण:

विवेचना के क्रम में दिनांक- 07.01.2023 को थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त सतीश उर्फ डम्पी पुत्र राजकुमार निवासी बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को गोधौरा पिकेट के पास से समय करीब 08.10 बजे सुबह पुलिस हिरासत में लिया गया।

➡ बाद गिरफ्तारी अभियुक्त के निशानदेही पर उक्त अभियोग में प्रयुक्त आला कत्ल (एक अदद लोहे का पाइप) अभियुक्त सतीश उर्फ डम्पी के गेहूँ के खेत से बरामद किया गया।

### पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 09/23 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 323, 452 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

### गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. सतीश उर्फ डम्पी पुत्र राजकुमार निवासी बड़ौरा खुर्द थाना जहानागंज आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष  
बरामदगी-

घटना में प्रयुक्त 01 अदद लोहे का पाइप

### गिरफ्तारी करने वाली टीम का विवरण

1- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह थाना जहानागंज आजमगढ़

2. का0 शुभम चौधरी, थाना जहानागंज आजमगढ़

3. का0 पवन सिंह, थाना जहानागंज आजमगढ़